न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 79 / 2024 निर्णय दिनांकः 26.05.2025

ऑनलाईन नम्बर 2024 / 155

ज्यानीदेवी पत्नि हरीराम जाति सिद्ध निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व श्रीडूंगरगढ़
2. ग्राम पंचायत बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या स्वंय।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित धारा 88 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की और से वादपत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थीनी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 161 तादादी 0.0600 हैक्टेयर रोही बाना में स्थित है। जिस पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग प्रार्थीनी का लगातार चला आ रहा है। प्रार्थीनी द्वारा अपने खातेदारी भूमि का आवासीय उपयोग करने हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ द्वारा दिनांक 18.04.2006 को आवासीय में रूपान्तरण करवा रखा है। प्रार्थीनी भूमि का आवासीय रूपान्तरण के आधार पर भूमि की किस्म वर्गीकरण बारानी के स्थान पर आवासीय दर्ज किया जाना था लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने प्रार्थीनी के खातेदारी खेत में नामान्तरण संख्या 47 गोला करके 46 दर्ज कर प्रार्थीनी के स्थान पर ग्राम पंचायत बाना का नाम दर्ज कर दिया एवं नामान्तरण के अनुसार जमाबन्दी में प्रार्थीनी के नाम के स्थान पर ग्राम पंचायत बाना का नाम दर्ज कर दिया जबकि संपरिवर्तन आदेश के अनुसार सिर्फ किस्म परिवर्तन की जानी थी। प्रार्थीनी ने दिनांक 16.04.2024 को राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो प्रार्थीनी को पता चला कि प्रार्थीनी के खातेदारी खसरा नम्बर 161 तादादी 0.0600 हैक्टेयर रोही बाना ग्राम पंचायत बाना के नाम दर्ज है तो प्रार्थीनी पुरानी नकले निकलवाई तो प्रार्थीनी को ज्ञात हुआ कि राजस्व कर्मचारियो ने गलत नामान्तरण दर्ज कर प्रार्थीनी की भूमि ग्राम पंचायत बाना के नाम दर्ज कर दी है जिसको दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थीनी ने अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने रिकार्ड दुरूस्त करने से इनकार कर दिया। प्रार्थीनी की भूमि में राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलत नामान्तरण दर्ज करने एवं गलत रिकार्ड को सही करने से इनकार करने से प्रार्थीनी गलत दर्ज रिकार्ड को दुरूस्त करवाने की अधिकारीनी है। प्रार्थीनी की भूमि की किस्म आवासीय दर्ज की जानी थी लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थीनी की भूमि को ग्राम पंचायत बाना के नाम दर्ज कर किस्म गै.मु. आबादी दर्ज कर दी है जिसको प्रार्थीनी के नाम दर्ज करने एवं किस्म आवासीय प्रयोनार्थ करवाने की अधिकारी है । प्रार्थीनी की भूमि में गलत रूप से ग्राम पंचायत बाना का नाम दर्ज कर भूमि की

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:29 IST
Reason: SelfAttested

किस्म गै.मु. आबादी करने से प्रार्थीनी अपने हक से वंचित हो रही है जिसको प्रार्थीनी के नाम दर्ज करवाकर भूमि की किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ करवाया जाना आवश्यक हो गया है। वादगत भूमि रोही बाना के रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान हाजा न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निवेदन है कि प्रार्थीनी के खेत खसरा नम्बर 161 तादादी 0.0600 हैक्टेयर रोही बाना में ग्राम पंचायत बाना के स्थान पर प्रार्थीनी ज्यानीदेवी धर्मपत्नि हरीराम जाति सिद्ध निवासी बाना खातेदार एवं किस्म गै.मु. आबादी के स्थान पर आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिया जाने की कृपा करे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 02 स्वंय उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में अप्रार्थीगण को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 161 तादादी 0.0600 हैक्टेयर रोही बाना में ग्राम पंचायत बाना के स्थान पर प्रार्थीनी ज्यानीदेवी धर्मपत्नि हरीराम जाति सिद्ध निवासी बाना खातेदार एवं किस्म गै.मु. आबादी के स्थान पर आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:29 IST
Reason: SelfAttested